

05.07.2021

पत्रावली आज सिंगे से प्रार्थनापत्र बाबत शीघ्र सुनवाई मंजूर किये जाने से प्रस्तुत हुई। वादीगण अधिवक्ता उपस्थित होकर इस मौजूदा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट में अब आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने का कथन रखते हुए प्रमाण में इसी आशय का एक राजीनामा पत्र/प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुए आदेशिका पर हस्ताक्षर अंकित किये।

ऐसी स्थिति में इस वादपत्र में अब आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है। अतः वादपत्र वादी को इसी स्तर पर प्रत्याहृत किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल

दफ्तर हो।

~~प्रमुख~~ प्रधिलारी

कतिपय

